न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहकम सिंह सिनसिनवार, आर.ए.एस.
(जीसीएमएस न. 2025/65)

प्रकरण संख्याः— 25/2025
तारीख दायरः— 17/01/2025
निर्णय दिनांकः—30/10/2025

उनवान

1. लक्ष्मीदेवी पत्नी प्रेमलाल जाति कलाल निवासी कुण्डेली ग्राम पंचायत सांगावास तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्रार्थी

बनाम

1. चन्दूभाई पिता लीलाभाई जाति सिंधी निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. वरदसिंह पिता हजारीसिंह जाति रावत निवासी कुण्डेली तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राज. भू0 राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के स्वामित्व, आधिपत्य, खातेदारी एवं कब्जे की भूमि राजस्व ग्राम कुण्डेली पटवार मण्डल सांगावास तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 348 आराजी संख्या 933/3 कुल किता 01 कुल रकबा 03—10 बीघा भूमि स्थित है। प्रार्थीगण की जमीन के समीप अप्रार्थीगण की जमीन होकर मौके पर मिली हुई है। जिससे फसल बुवाई के समय विवाद होता रहता है। उक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया है।

प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 02 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने से अप्रार्थी संख्य 01 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप की गई ।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की एकतरफा बहस सूनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पत्थरगढ़ी द्वारा किसी प्रकार का कब्जा सूपुर्द नहीं किया जाता है। वैसे भी विधि में प्रत्येक खातेदार को अपनी भूमि को

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ जिला—राजसमन्द (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
जिला—राजसमन्द (राज.)

सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी कराये जाने का अधिकार निहित कर रखा है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

–:आदेशः–

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व ग्राम ग्राम ग्राम कुण्डेली पटवार मण्डल सांगावास तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में **खाता संख्या 348 आराजी संख्या 933/3 कुल किता 01 कुल रकबा 03–10 बीघा भूमि उक्त आराजीयात पुराने प्रतीत होते है यदि इनके नवीन आराजी नम्बर बनने पर यदि प्रार्थिया स्वयं ही भूमि धारित करती है** तो पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु तहसीलदार देवगढ़ को आदेशित किया जाता है कि पत्थरगढ़ी से पूर्व उभयपक्षों (खातेदारान् एवं विपक्षीगण/पडौसी खातेदारान्) को पूर्व में ही तिथि एवं समय निर्धारण संबंधी सूचना पत्र जारी किया जावे। न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन अथवा स्थगन आदेश प्रभावी नहीं होने की शर्त पर पत्थरगढ़ी/सीमांकन की कार्यवाही की जावें। **पत्थरगढ़ी आदेश को कब्जा सूपूर्दगी आदेश नहीं समझा जावें। वक्त सीमांकन प्रार्थी अपनी भूमि पर सीमाचिन्ह स्वयं के खर्चे पर स्थापित करे।** पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ जिला–राजसमन्द (राज.)

10/10/25

(मोहकम सिंह सिनसिनवार R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
जिला–राजसमन्द (राज.)